न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 04 / 2022

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		मदनलाल पुत्र नेमीचन्द जाति जैन निवासी कल्याणपुरा, शिवकर रोड, बाड़मेर (मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, पुरानी सब्जी मण्डी गढ मंदिर रोड, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री भजनलाल गोदारा, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, पुरानी सब्जी मण्डी गढ मंदिर रोड, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 02.01.2022 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबिन तेल (एक टंकी मे लगभग 10 लीटर)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 1600 एमएल **रिफाईन सोयाबिन तेल (एक टंकी मे लगभग 10 लीटर)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1478** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबिन तेल (एक टंकी मे लगभग 10 लीटर)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबिन तेल (एक टंकी मे लगभग 10 लीटर)** का नमूना **Prohibited** as it **Contravenes Re[illegible] No. 2.3.15(1)(b)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सू[illegible] कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा [illegible] 2006 की धारा 26 [illegible] उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित जवाब में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण उसके विरूद्ध झूठा एवं निहायत तंग एवं परेशान करने की नीयत से, गलत रूप से कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना दर्ज करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अपने प्रकरणों की संख्या दर्शाने के आशय से बिना कोई माल व वस्तु का सैम्पल लिए गलत रूप से दूसरा कोई पदार्थ लेकर जांच में भेजा गया और उसमें गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को संलिप्त किया गया है। इस प्रकार यह प्रकरण पोषणीय नहीं होने से विचारणीय नहीं है, लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **11.01.2022** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी ने जवाब में यह प्रकट किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अपने प्रकरणों की संख्या दर्शाने के आशय से बिना कोई माल व वस्तु का सैम्पल लिए गलत रूप से दूसरा कोई पदार्थ लेकर जांच में भेजने और उसमें गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को संलिप्त किया गया है इस कारण उसके विरूद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **Prohibited** as it **Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b)** पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 25,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

5. आदेश आज दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते